भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2280

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएचसी और एसएचसी में नैदानिक सुविधाएं

†2280. श्री जगदीश शट्टर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी), गहन चिकित्सा और अवसंरचना की कमी, चिकित्सा विशेषज्ञों की भारी कमी और नैदानिक सुविधाओं की कमी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा रोगों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, निर्धारित मानकों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रशासनिक आँकड़ों पर आधारित वार्षिक प्रकाशन है। देशभर में, चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विवरण एचएमआईएस पोर्टल के पब्लिकेशन सेक्शन में दिए गए एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://hmis.mohfw.gov.in

उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से सुदृढ़ बनाकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती हैं। ये एएएम सेवाओं के विस्तारित दायरे के अंतर्गत निवारक, स्वास्थ्य संवर्धन, पुनर्वासात्मक तथा उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं, जिसमें प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), जिसे ₹64,180 करोड़ के परिव्यय से शुरू किया गया, इसका उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं के विकास करना है। पीएम-एबीएचआईएम का उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (शहरी एएएम), ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) तथा क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) के लिए अवसंरचना विकास को सहयोग प्रदान करना है। पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ़सी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान देने की सिफारिश की थी।

भारत सरकार ने देशभर के ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों हेतु प्रोत्साहनों और मानदेय के रूप में अनेक पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता ताकि ऐसे क्षेत्रों की जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवा करना उनके लिए आकर्षक बन सके।

ii. राज्यों के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए परस्पर सहमति से तय किए गए वेतन की पेशकश करने की भी छूट है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।

iii. दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयता के आधार पर प्रवेश तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी एनएचएम (एनएचएम) के अंतर्गत शुरू किए गए हैं।

iv. विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए, एनएचएम के तहत डॉक्टरों के समग्र आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात परिचर्या (सीईएमओएनसी) तथा जीवनरक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) जैसे एक से अधिक क्षेत्रों में कुशल बनाने का समर्थन किया जाता है।

भारत सरकार निःशुल्क निदान सेवा पहल के तहत, जिला स्तर तक के सभी जन स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल निदान सेवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें उप-स्वास्थ्य केंद्र–आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम) में 14 परीक्षणों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र–आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पीएचसी- एएएम) में 63 परीक्षणों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में 97 परीक्षणों, उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच) में 111 परीक्षणों तथा जिला अस्पतालों (डीएच) में 134 परीक्षणों के लिए सहायता शामिल है।

भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 निर्धारित किए हैं। इन मानकों में सेवाओं, अवसंरचना, मानव संसाधन, नैदानिक सुविधाओं, उपकरणों, दवाओं आदि के लिए मानदंड शामिल हैं। एनएचएम इन कमियों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करता है, जिससे इन स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके और आवश्यक मानकों को पूरा किया जा सके। बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) भी शुरू किए गए हैं।
